क्रम-संख्या–66(ख–4)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 12 अप्रैल, 2023

चैत्र 22, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–2

संख्या 8/2023/486/94-स्टा0नि0-2–2023

लखनऊ, 12 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

आदेश

प०आ०–237

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल पी0एल0ई0डी0जी0ई0: निजी औद्योगिक पार्क योजना के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ नई इकाइयों/पार्क की स्थापना हेतु नीचे सारणी के स्तम्भ–3 में यथा दर्शित लिखत के सम्बन्ध में स्तम्भ–2 में यथा उल्लिखित सीमा तक स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती हैं:–

प्रयोजन	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति
1	2	3
1–पी0एल0ई0डी0जी0ई0: निजी औद्योगिक पार्कों की योजना के अधीन निजी प्रवर्तकों द्वारा भूमि क्रय करने पर।	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1 ख के अनुच्छेद–23 के खण्ड–(क) के अधीन हस्तान्तरण के लिखत पर

प्रयोजन	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति
1	2	3
2–पी0एल0ई0डी0जी0ई0: निजी औद्योगिक पार्कों की योजना के अधीन प्रवर्तक/विकासकर्ता द्वारा विकसित निजी औद्योगिक पार्क में, औद्योगिक भूखण्ड को क्रय करने अथवा पट्टा पर लेने पर।	(क)–पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में–100% (ख)–मध्यान्चल एवं पश्चिमांचल क्षेत्र में (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद को छोड़कर) में–75% (ग)–गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद में–50% (घ)–महिला उद्यमियों को–100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1 ख के अनुच्छेद–23 के खण्ड– (क) के अधीन हस्तान्तरण तथा अनुच्छेद–35 के अधीन पट्टा के लिखत पर।

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोल्लिखित छूट निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है–

1–जिला मजिस्ट्रेट को हस्तान्तरण/पट्टा लिखत की पुष्टि करनी होगी कि विलेख "पी0एल0ई0डी0 जी0ई0: निजी औद्योगिक पार्क योजना " के अधीन निष्पादित किया जा रहा है और उसे उक्त प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करना होगा।

2–किसी अन्य नीति के अधीन स्टाम्प शुल्क छूट की प्रसुविधा प्राप्त कर चुकी इकाई इस नीति और अधिसूचना के अधीन स्टाम्प शुल्क माफी/छूट के लिए पात्र नहीं होगी।

3–अधिसूचित उपबंधों का क्रियान्वयन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।

4–उक्त अधिसूचना में उल्लिखित उपबन्ध प्रशासकीय विभाग (सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग) द्वारा नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश के दिनांक से प्रभावी माने जायेंगे।

स्पष्टीकरण–इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए–

"पूर्वांचल" में प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या तथा देवीपाटन राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे। "मध्यांचल" में लखनऊ एवं कानपुर राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे और "बुन्देलखण्ड" में चित्रकूट धाम एवं झांसी राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे। "पश्चिमांचल" में आगरा, अलीगढ़ , मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और मेरठ (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़कर) , मण्डल सम्मिलित होंगे।

आज्ञा से,
लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 8/2023/486/XCIV-S.R.-2-2023 dated April 12, 2023 :

No. 8/2023/486/XCIV-S.R.-2-2023

Dated Lucknow, April 12, 2023

IN exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time, in its application to Uttar Pradesh *read* with section 21 of the General Clauses Act,1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, is pleased to remit the Stamp Duty, for establishing new unit/park under the PLEDGE: Scheme of Private Industrial Parks, in accordance with the purposes specified therein, to the limit as mentioned in column 2 of the table below in relation to the Instrument as shown in column 3 :–

Purpose	Exemption Limit	Nature of Instrument
1	2	3
PLEDGE: On purchase of land by private promoters under the scheme of private industrial parks.	100%	On the instrument of conveyance under Clause (a) of Article 23 of Schedule 1(b) of the Indian Stamp Act, 1899
PLEDGE: In the private industrial park developed by the promoter/ developer under the scheme of private industrial parks, on purchasing or taking the industrial plot on lease.	(A)In the Purvanchal and Bundelkhand region -100% (B)In the Madhyanchal and Paschimanchal region (except for Gautam Budh Nagar and Ghaziabad)- 75% (C)In the Gautam Budh Nagar and Ghaziabad -50% (D)To women entrepreneurs-100%	On the instrument of conveyance under Clause(a) of Article 23 & Lease of Article 35 of Schedule 1(b) of the Indian Stamp Act ,1899

The aforementioned exemption under this notification is subject to the following prohibitions /conditions:

1. The District Magistrate shall confirm in the Instrument of conveyance/ Lease that the deed is being executed under the "PLEDGE: Scheme of Private Industrial Parks" and also signs as a witness for the said purpose.

2. The unit which has obtained the benefit of stamp duty exemption under any other policy shall not be eligible for a stamp duty remittance/ exemption under this policy and notification.

3. The implementation of the notified provisions shall be done according to the extant procedural guidelines issued by the Stamp and Registration Department.

4. The provisions mentioned in the above notification will be considered effective from the date of the Government order issued by the Administrative Department (M.S.M.E.) regarding the implementation of the policy.

Explanation- For the purpose of this notification.-

"Purvanchal" shall include the revenue divisions of Prayagraj, Varanasi, Mirzapur, Azamgarh, Basti, Gorakhpur, Ayodhya and Devipatan. "Madhyanchal" shall include the revenue divisions of Lucknow and Kanpur and the "Bundelkhand" shall include the revenue divisions of Chitrakoot Dham and Jhansi. The revenue divisions of Agra, Aligarh, Moradabad, Saharanpur, Bareily & Meerut (except Gautam Budh Nagar and Ghaziabad districts) is included in "Paschimanchal."

By order,
LEENA JOHRI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 234 राजपत्र–2023–(278)–599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 7 सा0 स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन–2023–(279)–150 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

234 RPH Stamp & Registration-2, 2023 data 7e